भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 407

सोमवार, 2 फ़रवरी, 2026/13 माघ, 1947 (शक)

रासायनिक विनिर्माण इकाइयों में जोखिम प्रबंधन

†407. **श्री परषोत्तमभाई रुपाला:**

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने रसायन कारखानों में सुरक्षित परिचालन अवधि की समाप्ति के पश्चात् अप्रचलित उपकरणों के समय पर प्रतिस्थापन को अनिवार्य करने हेतु, राज्य सरकारों एवं संबंधित हितधारकों के साथ समन्वय में, कारखाना सलाह सेवा एवं श्रम संस्थान महानिदेशालय (डीजीएफएएसएलआई) के माध्यम से कोई उपाय किए हैं अथवा करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) कारखानों के उपकरणों की सुरक्षित परिचालन मियाद निर्धारित करने के लिए अपनाई गई वैज्ञानिक, तकनीकी एवं विनियामक कार्यप्रणाली का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या रसायन कारखानों में तृतीय-पक्ष सुरक्षा संपरीक्षा असामान्य रूप से कम समय-सीमा में कराए जा रहे हैं;

(ङ) यदि हाँ, तो क्या ऐसे संक्षिप्त संपरीक्षा सुरक्षा को कमजोर कर सकते हैं तथा गंभीर अथवा घातक औद्योगिक दुर्घटनाओं के जोखिम को बढ़ा सकते हैं; और

(च) सुरक्षा अनुपालन में कमी अथवा दुर्घटनाओं की स्थिति में प्रबंधन, लेखापरीक्षकों एवं विनियामक प्राधिकरणों की जवाबदेही तय करने हेतु लागू ढाँचे का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (च): सरकार ने अधिनियम के तहत पंजीकृत कारखानों में नियोजित श्रमिकों की व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए कारखाना अधिनियम, 1948 अधिनियमित किया है। इस अधिनियम और इसके तहत बनाए गए नियमों के अंतर्गत श्रमिकों के व्यावसायिक स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए विस्तृत प्रावधान मौजूद हैं। कारखाना अधिनियम, 1948 और इसके तहत बनाए गए नियमों को राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा प्रवर्तित (लागू) किया जाता है।

जारी–2/-

इसके अतिरिक्त, कारखाना अधिनियम, 1948 को व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशाएं संहिता (ओएसएच एवं डब्ल्यूसी), 2020 में सम्मिलित कर लिया गया है। व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशाएं संहिता 2020 दिनांक 21.11.2025 से प्रभावी हो गई है। रासायनिक कारखानों में प्रमाणित सुरक्षित परिचालन अवधि की समाप्ति के बाद पुराने उपकरणों को अनिवार्य रूप से बदलने का कार्य कारखाना सलाह सेवा और श्रम संस्थान महानिदेशालय के कार्यक्षेत्र और गतिविधियों के दायरे से बाहर है। यह राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है।

व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशाएं संहिता, 2020 समुचित सरकार द्वारा विशेषज्ञों को सूचीबद्ध करने के लिए एक 'स्कीम' का प्रावधान करने हेतु 'तृतीय पक्ष ऑडिट और प्रमाणन' की परिकल्पना करती है। ऐसे विशेषज्ञों को सुरक्षा ऑडिट और प्रमाणन करने के साथ-साथ संबंधित नियोक्ता और निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता को रिपोर्ट सौंपने के लिए एक वेब-आधारित स्कीम के माध्यम से यादृच्छिक (रेंडमाइइज्ड) तरीके से तृतीय पक्ष ऑडिट और प्रमाणन का कार्य सौंपा जाएगा। व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशाएं संहिता, 2020 के तहत, अपराधों के लिए जुर्माने और सुरक्षा प्रावधानों से संबंधित कर्तव्यों के ऐसे उल्लंघन, के लिए दंड के प्रावधान हैं जिसके परिणामस्वरूप दुर्घटना होती है।
